मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२४

विषय – सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा १ का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ३ का संशोधन.

५. धारा ५ का संशोधन.

६. धारा ८ का संशोधन.

७. अध्याय छह का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,–

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग"

(दो) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"(४) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे निजी विद्यालयों को लागू होंगे जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित राशि से अधिक है, किन्तु ऐसी विहित राशि रुपए २५००० /- (पच्चीस हजार रुपए) से कम नहीं होगी.".

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(खक) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति" से अभिप्रेत है, धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति.".

(दो) खण्ड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(थ) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति" से अभिप्रेत है, धारा १२अ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति.".

धारा ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ढ) परिवहन फीस.".

धारा ५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "राज्य समिति" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "विभागीय समिति" स्थापित किए जाएं.

धारा ८ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ८ में, शब्द "राज्य समिति" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "विभागीय समिति" स्थापित किये जाएं.

अध्याय छह का संशोधन.

७. मूल अधिनियम के, अध्याय छह में,–

(एक) अध्याय के वर्तमान शीर्षक, के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति तथा राज्य समिति.".

(दो) धारा ११ में, शब्द "राज्य समिति" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "विभागीय समिति" स्थापित किए जाएं.

(तीन) धारा १२ में,–

(क) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"विभागीय समिति को अपील का उपबंध.".

(ख) शब्द "राज्य समिति" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "विभागीय समिति" स्थापित किए जाएं.

(चार) धारा १२ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

राज्य समिति को अपील का उपबंध.

"१२क. (१) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु एक राज्य समिति गठित की जाएगी, जो निजी विद्यालयों द्वारा फीस में १५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से संबंधित आदेशों के संबंध में विभागीय समिति द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगी:

परन्तु राज्य समिति के समक्ष जिला समिति के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील में विनिश्चित मामलों से संबंधित, विभागीय समिति द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं की जाएगी.".

(२) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग –	अध्यक्ष
(ख) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग –	सदस्य
(ग) आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल –	सदस्य
(घ) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल –	सदस्य
(ङ) संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश –	सदस्य
(च) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग –	सदस्य सचिव
(छ) संयुक्त संचालक या संचालनालय, लोक शिक्षण का कोई अधिकारी, जो कि आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया जाए –	सदस्य.

(३) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी.

(४) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति अपील का विनिश्चय ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में करेगी, जैसा कि विहित किया जाए.

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में ३४,६५२ निजी विद्यालय (समस्त शैक्षणिक मण्डलों को सम्मिलित करते हुए) परिचालन में हैं. ये निजी विद्यालय मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१८) और मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, २०२० के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे हैं.

२. उपरोक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के विनियामक अनुपालन को प्रवृत्त करने के लिए इन निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रीकरण तथा डाटा प्रबंधन के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित तथा परिचालित किया गया है.

३. उपरोक्त तंत्र के होते हुए भी, कई निजी विद्यालय द्वारा समर्पित पोर्टल में आवश्यक जानकारी अपलोड करने में बहुत अधिक कठिनाइयां होने की सूचना मिली है, जिसमें जनरल डाटा, वित्तीय खाते और विविध प्रस्ताव सम्मिलित हैं, जैसा कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, २०२० के नियम ३ के अधीन आवश्यक है.

४. इन निजी विद्यालयों के समक्ष आने वाली विशिष्ट समस्याएं निम्नानुसार हैं:-

(१) अधिक संख्या में निजी विद्यालय हैं जिनकी वार्षिक फीस २५००० /- रुपए या कम है.

(२) रुपए २५०००/- या उससे कम वार्षिक फीस वाले निजी विद्यालय संसाधनों की कमी का सामना करते हैं.

(३) विनियामक अनुपालन के लिए छोटे निजी विद्यालयों का वर्गीकरण नहीं है.

(४) निजी विद्यालय द्वारा परिवहन फीस में अत्याधिक/अनुचित वृद्धि के विनियमन के लिए उपबंधों की अनुपस्थिति.

५. **राज्य समिति की स्थापना**– यह कथन भी है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में दो समितियां विद्यमान हैं अर्थात् फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के लिए जिला समिति और फीस तथा संबंधित विषयों विनियमन के लिए राज्यस्तरीय समिति. संशोधन के माध्यम से अब तीन समितियां होंगी अर्थात् जिला समिति, विभागीय समिति और राज्य समिति. विभागीय समिति, जिला समितियों के विनिश्चयों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करेगी. राज्य समिति, अपनी आरंभिक अधिकारिता से संबंधित विभागीय समिति के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी.

६. उपरोक्त विषयों को हल करने के लिए, उक्त अधिनियम में विद्यमान चुनौतियों को कम करने तथा उसके प्रभाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ की धारा १,२,३,५,८ और अध्याय छह को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल
तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४

उदय प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड २ (एक) द्वारा विधेयक के अनुप्रयोग को परिभाषित किए जाने;

खण्ड २ (दो) वार्षिक फीस विहित किए जाने;

खण्ड ३ (ख क) द्वारा विभागीय समिति गठित किए जाने; तथा

खण्ड ७ द्वारा फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय तथा राज्य समिति गठित किए जाने, तथा फीस एवं संबंधित नियमों के विनिश्चिय हेतु अपील की समयावधि विहित किए जाने

के संबंध में नियम बनाए जायेंगे, जो सामान्य स्वरुप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१८) से उद्धरण.

धारा १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम २०१७ है;

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा;

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;

धारा २. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है, कोई कालावधि, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मान्यता प्रदान करने या मान्यता का नवीकरण करने या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी अन्य भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय की सम्बद्धता उपविधियों के अधीन सम्बद्धता के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी;

(ग) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति" से अभिप्रेत है, धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति;

(घ) "फीस" से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (१) में यथापरिभाषित फीस;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद्, नगरपालिका या नगरपालिक निगम;

(छ) "प्रबन्धन" से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या शासी निकाय या कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे निजी विद्यालय के कार्यकलाप सौंपे जाते हैं;

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(झ) "निजी हाईस्कूल" से अभिप्रेत है, कक्षा नौ से दस तक, कक्षा एक से दस तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से सम्बद्ध हो;

(ञ) "निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, कक्षा ग्यारह से बारह या कक्षा एक से बारह तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय, और जो किसी भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से सम्बद्ध हो;

(ट) "निजी माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, कक्षा छह से आठ या कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से सम्बद्ध हो;

(ठ) "निजी अल्पसंख्यक विद्यालय" से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जिसे सरकार के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

(ड) "निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जो तीन से छह वर्ष आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर जैसे- नर्सरी, जूनियर किन्डरगार्टन, सीनियर किन्डरगार्टन स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रहा हो अथवा जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वह किसी निजी विद्यालय से संलग्न हो या न हो;

(ढ) "निजी प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच तक शिक्षा प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय;

(ण) "निजी विद्यालय" से अभिप्रेत है, कोई पूर्व निजी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसमें निजी अल्पसंख्यक विद्यालय, चाहे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा अर्द्धशासकीय संगठनों से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, परन्तु इसमें केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय, कोई पूर्णतः आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित सम्मिलित नहीं होगा;

(त) "संबंधित विषय" से अभिप्रेत है, विषय जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वाचन सामग्री, स्कूल बैग, गणवेश, छात्रों के लिये परिवहन प्रदान करना और समस्त ऐसे विषय जो छात्र या उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निजी विद्यालय को धनराशि संदत्त करने का कारण बनें;

(थ) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति" से अभिप्रेत है, धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति.

धारा ३. फीस से अभिप्रेत है, किसी निजी विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा या अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहीत राशि चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, और जिसमें :–

(क) शिक्षण फीस,

(ख) पुस्तकालय फीस,

(ग) वाचनालय फीस,

(घ) खेल फीस,

(ङ) प्रयोगशाला फीस,

(च) कम्प्यूटर फीस,

(छ) काशन मनी,

(ज) परीक्ष फीस,

झ) अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यकम के लिए फीस जैसे राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेल-कूद स्पर्धा,

(ञ) प्रवेश फीस,

(ट) पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस,

(ठ) कोई अन्य राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिए आज्ञापक हो,

(ड) छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि, जो सरकार द्वारा विहित की जाए,

सम्मिलित है;

(२) फीस में वृद्धि का विनिश्चय करते समय फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा, यथास्थिति, फीस एवं संबंधित विषयों का विनिमियमन करने के लिए निम्नालिखित घटकों पर विचार किया जाएगाः–

(क) भूमि, भवन एवं उससे संलग्न फिक्सचर की कीमत;

(ख) छात्रों की संख्या;

(ग) अध्ययन संकाय;

(घ) अधोसंरचना एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संस्था द्वारा किया गया व्यय;

(ङ) प्रशासन तथा अनुरक्षण पर व्यय;

(च) केन्द्र सरकार की नीति के अनुपालन में कमजोर वर्ग वंचित समूहों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर व्यय;

(छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद की संख्या एवं उनकी अर्हताएं;

(ज) निजी विद्यालय के विकास हेतु आरक्षित की गई धारा ५ की उपधारा (२) में यथा-विनिर्दिष्ट व्यय पर वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता;

(झ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद का वेतन;

(ञ) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता जैसे कि भूमि, अनुदान;

(ट) छात्र-शिक्षक अनुपात; और

(ठ) कोई अन्य घटक, जो विहित किए जाएं,

* * * *

धारा ५ (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति फीस नियत नहीं करेगी किन्तु फीस में वृद्धि को विनियमित करेगी.

(२) उस वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता को बनाए रखने के लिए, जिसके कि लिए उसी वर्ष हेतु व्यय पर फीस प्रस्तावित है, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों के १५ प्रतिशत के भीतर फीस में वृद्धि विनियमित की जाएगी.

(३) इसमें ऊपर उपधारा (२) के प्रावधानों के अध्ययधीन रहते हुए :

(क) प्रबंधन पूर्ववर्ती वर्ष के लिये नियत फीस के १० प्रतिशत तक फीस में वृद्धि कर सकेगा;

(ख) फीस की वृद्धि की मात्रा, जहां ऐसी प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभारित फीस के १० प्रतिशत से अधिक है, को विनिश्चित करने के लिये फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति अधिकृत होगी:

परन्तु यदि फीस में प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है तो जिला समिति उसे अपनी टिप्पणियों के साथ फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति के पास उसके विनिश्चय के लिये भेजेगी:

(ग) जहां फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है वहां फीस की वृद्धि की मात्रा को विनिश्चत करने के लिये राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति अधिकृत होगी.

(४) निजी विद्यालय का प्रबंधन, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किए फीस की वृद्धि के अपने प्रस्ताव में, धारा ३ की उपधारा (१) में उपबंधित्त फीस की मदों के विरूद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा.

(५) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा.

(६) निजी विद्यालय का प्रबंधन किसी छात्र, माता-पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त नहीं करेगा.

(७) निजी विद्यालय फीस के निक्षेप के लिये बैंक खाता अभिहित करेगा और इस प्रकार निक्षिप्त की गई फीस की रसीद, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, छात्र, माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जाएगी.

* * * *

धारा ८ (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनिययम हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लेखा परीक्षण करेगी.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, ऊपर उल्लिखित उपधारा (१) में उध्दृत अभिलखों का परीक्षण और ऐसे बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं.

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त सूचना मंगा सकेगी जो कि विनिश्चय करने के लिए वह आवश्यक समझती है.

(४) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, प्रबंधन तथा उक्त विद्यालय में प्रवेश दिए गए छात्रों और छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी.

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव पर, प्रस्ताव की प्राप्ति के ४५ दिन के भीतर विनिश्चय करेगी:

परन्तु ४५ दिनों की इस कालावधि की गणना करने में इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन अतिरिक्त जानकारी देने में निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

(६) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव की प्राप्ति के ७ दिनों के भीतर फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को अग्रेषित करेगी, यदि फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है.

अध्याय छह

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

धारा ११.(१) धारा ५ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन फीस की वृद्धियों के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने के लिए और फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य फीस समिति होगी.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) आयुक्त लोक शिक्षण	अध्यक्ष
(ख) अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र या केन्द्र के मिशन संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी.	सदस्य
(ग) संयुक्त संचालक (वित्त), लोक शिक्षा	सदस्य
(घ) मुख्य अभियंता, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	सदस्य
(ड.) संचालक, लोक शिक्षण	सदस्य सचिव.

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी.

(४) धारा ८ की उपधारा (१) से (५) तक के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को लागू होंगे.

धारा १२. (१)फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में अपील का विनिश्चय करेगी जैसी की विहित की जाए.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति फीस संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.